



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012021-224101
CG-DL-E-01012021-224101

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 571]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/ पौष 9, 1942

No. 571]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा-48 (बी) 49(1) (एबी) और (आई) सपट्टीत धारा-15(2), (सी), (डी), (एफ) और (जी) नियम धारा 4 और 10 बी और धारा-7(1) (जी), (के), (एल) और (एम) के तहत

भारतीय विधिज्ञ परिषद् अध्याय-I भाग-II के नियम-2(1), 2(2), नियम-3, नियम-7, नियम-8(1), नियम-9(1) और नियम-10(5) में संशोधन करने का निर्णय लिया है और साथ ही बार काउंसिल चुनावों हेतु मतदाताओं एवम् बार काउंसिल के सदस्य बनने हेतु अहंताओं एवम् राज्य बार काउंसिल के सदस्यों एवम् पदाधिकारियों के चुनाव संबंधित मामलों या/एवम् संबंधी विवादों के निपटारे हेतु न्यायाधिकरण/समिति गठित करने हेतु नियम बनाने का संकल्प लिया है।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के भाग 2 में नये नियम 5(3), (4) और 5(5) तथा नियम 11 जोड़े जाते हैं और नियम 2(1), 2(2), 3, 7, 8(1), 9(1) और 10 (5) को निरस्त कर निम्नलिखित संशोधित नियम प्रतिस्थापित किये जाते हैं।

फा. सं. BCI : D : 3582/2020.—भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने परिषद् के सदस्यों के चुनाव संबंधित नियमों में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव पारित किया है :—

खण्ड 2 अध्याय 1 परिषद् के सदस्यों से संबंधित प्रावधान है। परिषद् ने सन 2016 में इससे संबंधित कुछ दिशा निर्देश जारी किये थे जिन्हें अब अनिवार्य समझा जायेगा।

राज्य बार काउंसिल के सदस्यों या पदाधिकारियों से संबंधित नये नियम 9 में उल्लिखित प्रोविजो (Proviso) को छोड़, सभी संशोधित नियम भारत के गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे। ये नियम प्रकाशन की तिथि से भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्य के चुनाव या राज्य बार काउंसिल के पदाधिकारियों के चुनावों हेतु हमेशा लागू होंगे

व रहेंगे, जहाँ चुनाव होने वाले हैं और या जहाँ चुनाव संबंधी नोटिस जारी हो चुके हैं : हाँलाकि यदि किसी राज्य बार काउंसिल के पदाधिकारी का चुनाव सम्पन्न हो चुका है, वैसे निर्वाचित पदाधिकारियों का चुनाव इन नियमों से प्रभावित नहीं होगा और वैसे पूर्व में सम्पन्न चुनाव वैध माने जायेंगे।

उक्त अध्याय 1 खण्ड 2 के नियम 2, 3, 7, 8 (4), 9 एवम् नियम 10 (5) को विलोपित किया जाता है और उक्त विलोपित नियमों के स्थान पर निम्नलिखित संशोधित नियमों को प्रतिस्थापित/निवेशन किया जाता है। साथ ही नियम 11 को भारतीय विधिज्ञ परिषद के नियमावली के अध्याय 1 के खंड II में जोड़ा जाता है। नियम 9 (1)(2), यथावत रहेंगे। नये नियम 9 भी प्रतिस्थापित किये जा रहे हैं।

संशोधित नियम :—

नियम 2 (1) राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्यों के (अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 8 के तहत चुनाव के बाद) सदस्यों की पहली बैठक में भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य का चुनाव भी हो सकेगा। यह चुनाव धारा 4 (1) (c) अधिवक्ता अधिनियम के तहत उल्लेखित सदस्य का चुनाव होगा। हाँलाकि, भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य के चुनाव हेतु कार्यक्रम भारतीय विधिज्ञ परिषद के सचिव करेंगे, इस चुनाव का समय, तिथि एवम् स्थान भारतीय विधिज्ञ परिषद के सचिव द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसकी सूचना विधिज्ञ परिषद के सचिव राज्य विधिज्ञ परिषद के सभी सदस्यों को देंगे।

तथापि भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य का चुनाव, राज्य विधिज्ञ परिषद के पदाधिकारियों और समितियों के चुनाव से पहले किये जायेंगे। भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य के चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद राज्य विधिज्ञ परिषद के पदाधिकारियों व समितियों का चुनाव होगा (यदि सदस्य भारतीय विधिज्ञ परिषद के पदाधिकारियों का चुनाव एक ही दिन या उसी क्रम में हो रहा हो तो)

तथापि यदि राज्य विधिज्ञ परिषद के निर्वाचित सदस्य बहुमत से राज्य बार काउंसिल के पदाधिकारियों का चुनाव बाद में किसी अन्य तथि पर कराने को आवेदन करें, तो सचिव, राज्य बार काउंसिल द्वारा कोई अन्य तिथि निर्धारित की जा सकेगी। हाँलाकि किसी भी परिस्थिति में सदस्य, भारतीय विधिज्ञ परिषद एवम् राज्य बार काउंसिल के पदाधिकारियों का चुनाव, राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्यों के चुनाव परिणाम के प्रकाशन की तिथि के 45 दिनों के अन्दर सम्पन्न कराना आवश्यक होगा।

नियम 3 :— भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य के चुनाव का संचालन परिषद का सचिव या भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मनोनीत परिषद का कोई अन्य पदाधिकारी करेगा एवम् निर्वाची पदाधिकारी (Returning Officer) के रूप में चुनाव संचालित करेगा।

राज्य विधिज्ञ परिषद का सचिव सहायक निर्वाची पदाधिकारी (A.R.O.) होगा।

प्रेक्षक (Observer)

नियम 5(3) :—

यदि किसी राज्य बार काउंसिल के 5 (पाँच) या उससे अधिक निर्वाचित सदस्य या पदेन सदस्य भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य के चुनाव हेतु किसी प्रेक्षक (Observer) की नियुक्ति हेतु आवेदन करते हैं तो भारतीय विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष द्वारा उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या भारतीय विधिज्ञ परिषद के एक या अधिक सदस्यों या किसी राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्य या किसी वरीय अधिवक्ता को प्रेक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगा। भारतीय विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को किसी वरीय न्यायिक पदाधिकारी या उच्च न्यायालय के निबंधक को प्रेक्षक के रूप में नियुक्त करने का भी आग्रह किया जा सकेगा। उक्त प्रेक्षक भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य के चुनाव के अलावा राज्य बार काउंसिल के पदाधिकारियों के चुनाव के प्रेक्षण करने हेतु भी नियुक्त किये जा सकते हैं।

नियम 5(4) :—

राज्य बार काउंसिल के सचिव के द्वारा चुनाव की सारी प्रक्रियाओं के वीडियोग्राफी का प्रावधान करना आव'यक होगा। उक्त वीडियोग्राफी की रिकार्डिंग 2 पेनड्राइव (Pendrive) में की जायेगी जिसमें 1 पेनड्राइव भारतीय विधिज्ञ परिषद के सचिव एवम् दूसरी पेनड्राइव (Pendrive) राज्य बार काउंसिल के सचिव के पास सुरक्षित रखी जायेगी।

नियम 5(5) :—

राज्य बार काउंसिल के पदेन सदस्य या राज्य बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्य बहुमत से, आवश्यकतानुसार उचित कारणवश राज्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य का चुनाव भारतीय विधिज्ञ परिषद के प्रांगण में या किसी अन्य स्थान पर आयोजित कराने का आग्रह कर सकते हैं। उक्त आवेदन पर भारतीय विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष द्वारा उपयुक्त कारण पाये जाने पर भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य का चुनाव भारतीय विधिज्ञ परिषद के प्रांगण में या किसी अन्य

स्थान पर आयोजित करने का निर्णय लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सदस्यों के यात्रा भत्ता एवम रहने के स्थान की व्यवस्था भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा किया जायेगा एवम राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्यों के अन्य भत्ते/मानदेय राज्य विधिज्ञ परिषद वहन करेगी।

राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्य बहुमत से दिये गये आवेदन पर या पदेन सदस्य के आग्रह पर भारतीय विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष द्वारा राज्य विधिज्ञ परिषद के पदाधिकारियों एवम अन्य समितियों का चुनाव भी भारतीय विधिज्ञ परिषद के प्रांगण में या किसी अन्य स्थान (जहां भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य का चुनाव होना है) पर आयोजित करने का आदेश पारित किया जा सकता है। हाँलाकि, राज्य विधिज्ञ परिषद के पदाधिकारियों एवम अन्य समितियों का चुनाव भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य के चुनाव एवम इसके परिणाम की घोषणा के बाद ही की जायेगी।

नियम 7 :-

भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य के चुनाव की तिथि की सूचना राज्य विधिज्ञ परिषद के सचिव द्वारा भारतीय विधिज्ञ परिषद के सचिव से निर्देश लेने के बाद ही की जायेगी। उक्त संबंधित सूचना राज्य विधिज्ञ परिषद के सचिव द्वारा चुनाव की तिथि के 15 दिन पूर्व सदस्यों को देनी होगी।

तथापि राज्य विधिज्ञ परिषद के निर्वाचित सदस्य यदि बहुमत से उक्त 15 दिन की अवधि के अन्दर ही निर्वाची पदाधिकारी (Returning Officer) के समक्ष चुनाव कराने का आवेदन करते हैं तो निर्वाची पदाधिकारी (Returning Officer) उक्त आवेदन पर अल्प सूचना पर भी चुनाव कराने की अनुमति दे सकता है।

चुनाव कार्यक्रमों संबंधी सूचना की एक प्रति भारतीय विधिज्ञ परिषद को भी प्रेषित की जायेगी।

नियम 8 (1) :-

भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य के चुनाव हेतु राज्य विधिज्ञ परिषद का कोई एक सदस्य किसी उम्मीदवार के नाम को प्रस्तावित करेगा और कोई दूसरा सदस्य उसका समर्थन कर सकेगा। नामांकन पत्र लिखित होगा एवम चुनाव के एक दिन पहले निर्वाची पदाधिकारी (Returning Officer) के समक्ष दाखिल होगा। कोई भी सदस्य एक से अधिक नाम का प्रस्ताव या समर्थन नहीं कर सकेगा; वैसे नामांकन पत्र (Invalid) अमान्य होंगे। नामांकन पत्र की जांच निर्वाची पदाधिकारी (Returning Officer) द्वारा की जायेगी एवम उचित निर्णय के बाद उम्मीदवारों के नाम की घोषणा निर्वाची पदाधिकारी (Returning Officer) द्वारा की जायेगी।

नये नियम 8(9) :-

चुनाव परिणाम की घोषणा अविलम्ब गजट में प्रकाशित की जायेगी। तथापि यदि चुनाव भारतीय विधिज्ञ परिषद के प्रांगण में या किसी अन्य स्थान पर सम्पन्न हुआ हो, तो चुनाव परिणाम भारत के गजट में प्रकाशित किये जायेंगे।

Proviso to Rule 8(9) :-

तथापि कोई भी राज्य विधिज्ञ परिषद अपने सदस्यों के चुनाव परिणाम का प्रकाशन या राज्य विधिज्ञ परिषद के पदाधिकारियों के चुनाव का प्रकाशन, भारतीय विधिज्ञ परिषद के माध्यम से भारत के गजट में करा सकता है। यदि प्रकाशन राज्य गजट एवम भारत सरकार दोनों ही गजट में हुआ है, तो भारत के गजट में प्रकाशित सूचनाएँ एवम तिथि ही मान्य होगी; गजट प्रकाशन संबंधी प्रावधान अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रकाशन की तिथि से ही मान्य समझे जायेंगे।

(टिप्पणी :- ये Proviso to Rule 8(9) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के लागू होने की तिथि से ही लागू समझा जायेगा)

नियम-11

चुनाव समितियाँ या चुनाव न्यायाधिकरण (Election Tribunals)

क. चुनाव समिति (जिन्हें चुनाव न्यायाधिकरण के नाम से भी जाना जाता है) और जिनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से मुकदमा टी. सी. (CIVIL) संख्या 126/2015 के आलोक में राज्य विधिज्ञ परिषदों के सदस्यों और/या उनके पदाधिकारियों के चुनाव संबंधी मामलों व विवादों के निपटारे हेतु भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा इसके मद सं. 25/2018 दिनांक 21.01.2018 द्वारा गठित किया गया है, न्यायाधिकरण/समितियाँ कार्यरत रहेंगी। ये समितियाँ बार काउंसिल चुनावों के मतदाता या बार काउंसिल के सदस्य चुने जाने हेतु अहर्ताओं (Qualification and Disqualification) संबंधी मामलों व विवादों का निपटारा भी करेंगी।

ख. इन न्यायाधिकरण/समितियों के अध्यक्ष, किसी उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होंगे एवम् किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय के दो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे। उक्त दो न्यायाधीश सदस्यों में एक सदस्य संबंधित राज्य बार काउंसिल द्वारा मनोनित किया गया सदस्य होगा, जिस

राज्य बार काउंसिल के चुनाव संबंधी मामलों/विवादों का निपटारा किया जाना है। आवश्यकता पड़ने पर चुनाव न्यायाधिकरण राज्य विधिज्ञ परिषदों के सदस्यों के चुनाव को निष्पक्ष एवम् पारदर्शी बनाने के लिए एक या एक से अधिक प्रेषक (Observer) एवम्/या सहायक चुनाव अधिकारी (Assistant Returning Officer) नियुक्त कर सकेगा।

तथापि राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्यों के चुनावों हेतु निर्वाची पदाधिकारी (Returning Officer) राज्य विधिज्ञ परिषद ही नियुक्त कर सकेगा।

- ग. न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधिकरण के कार्य संपादन संबंधी अपनी नियमावली, प्रक्रियाएँ एवम् शुल्क आदि का निर्धारण भारतीय विधिज्ञ परिषद के परामर्श कर स्वयम् करेंगे। एवम् भारतीय विधिज्ञ परिषद इस न्यायाधिकरण के कार्य संपादन हेतु सारी व्यवस्थाएँ उपलब्ध करायेगी।

श्रीमानतों सेन, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./430/2020]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020

Rules under Section-15(2), (c), (d), (f) and (g) read with Section 4 and 10B and Section-7(1)(g), (k), (l) and (m) read with Section-48B, 49(1)(a), (ab) and (i) of the Advocates' Act, 1961.

Amendment to Rule-2(1), 2(2), Rule-3, Rule-7, Rule-8(1), Rule 8(9) and Rule-10(5) of Part-II, Chapter-I of the Bar Council of India Rules (the earlier respective rules mentioned above are being repealed).

Addition of New Rule 5(3), 5(4) and 5(5) and the New Rule 8(9) and 11 in Part-II, Chapter-I of the Bar Council of India Rules.

F. No. BI : D : 3582/2020.—The General Council has considered to make necessary amendments in the Bar Council of India Rules with regard to the matters relating to elections of the Members of the Bar Council of India and office bearers of the State Bar Councils, the forum to decide the matters relating to qualifications and disqualifications of being a voter and/or for any Member of Bar Council.

Part-II, Chapter-I of the Bar Council of India Rules provides for the election of the Members of the Bar Council of India. The Council had framed uniform Guidelines in this regard in the year 2016, which are now to be treated as mandatory.

Except the Rules regarding publication of result of election of members as per New Proviso to Rule 8(9), these Rules will come into force from the date of its publication in Official Gazette.

This Rule shall be applicable for all State Bar Councils where election(s) of Member of Bar Council of India have not been held till the date of the publication of these amended Rules in the Official Gazette, regardless of issuance of any notice for the same, keeping in view the larger interest of ensuring fairness and transparency in the entire process of election.

The provisions contained in these Rules shall apply on/for all the elections of Member/s, Bar Council of India and/or Office-Bearers of State Bar Council, anytime to be held in any State Bar Council, which would include the first internal elections (*office bearers, committee elections*) and all subsequent such internal elections of State Bar Council, which may be necessitated due to any reason inclusive of vacancy arising therein or otherwise, to be held in any State Bar Council after publication of these Rules in the Official Gazette.

However, it is made clear that if, in any Bar Council, the election of any office-bearer has been held prior to publication of these Rules in the Official Gazette, such election shall not be disturbed and shall be treated to be valid.

Rule-2(1), 2(2) and Rule-3, Rule-7, Rule-8(1), Rule-9 and Rule-10(5) of Part-II, Chapter-I of the Bar Council of India Rules are hereby repealed and following Rules are being inserted at the respective places. Rest of the Rules of the Part-II, Chapter-I of Bar Council of India Rules shall remain intact of new Rule-11 is added in the Part-II of Chapter-I of the Bar Council of India Rules.

Amended Rule-2(1)-

The notice and agenda for the first meeting of the State Bar Council to be held after the election of its members on expiry of terms of its member elected at the previous election under Seciton-8 of the Advocates Act, 1961 may also include the election of a Member of the State Bar Council to the Bar Council of India under Section-4(1)(c) of the Advocates Act, 1961. However, the schedule for the election of Member of Bar Council of India shall be decided by the Secretary of Bar Council of India only. The date, time and place of election shall be fixed by the Secretary of Bar Council of India; and he shall inform it to the Secretary, State Bar Council to notify among the members of State Bar Councils.

Amended Rule-2(2)-

The election of the Member, Bar Council of India shall be held, and the result of the same shall also be declared prior to the elections of the other Office Bearers and Committees of the State Bar Council, if both these elections are held in same continuation and/or on the same day.

However, if the majority of elected Members of any State Bar Council make a requisition to hold the election of office-bearers of State Bar Council at a subsequent date, another date of election for electing office-bearers of State Bar Council may be fixed by the Secretary of State Bar Council on the direction of the Returning Officer for the election of State Bar Council. But, in any case such election has to be held within 45 days from the date of election of publication of result of Members of State Bar Council.

Amended Rule-3-

The election of the Member-Representative to be elected to the Bar Council of India shall be conducted by the Secretary, Bar Council of India or any other Officer of the Bar Council of India to be appointed by the Council who shall act as the Returning Officer for the election of the Member of Bar Council of India.

The Secretary of the State Bar Council shall act as Assistant Returning Officer in the election of the Member-Representative to the Bar Council of India.

New Rule 5 (3)-**Observer(s): -**

If, 5 or more elected Members of any State Bar Council or the Ex-Officio Member make a requisition for appointment of an Observer for the Election of the Member, Bar Council of India and/or the Officer Bearers of the State Bar Council, the Chairman, Bar Council of India may appoint a former Judge of any High Court or one or more member(s) of the Bar Council of India or any State Bar Council or any Senior Advocate(s) to be the Observer for the said election(s). In the alternative, the Chairman of the Council may make a request to the Hon'ble Chief Justice of the concerned High Court to appoint a Senior Judicial Officer or the Registrar of the High Court to be the Observer for the said election(s). The Observer(s) may also be appointed to act as observer for the election of Officer-Bearer(s) of State Bar Council.

Rule 5 (4)-

The Secretary of State Bar Council shall make provision for videography of the entire process of the election. The recordings shall be kept in pen-drive and one pen-drive containing election shall be kept by Returning Office in safe custody. The Assistant Returning Officer shall keep another copy of pen-drive.

Rule 5 (5)-

If, the Ex-Officio Member or majority of elected Members make an application before the Bar Council of India for holding the election of Member, Bar Council of India in the premises of Bar council of India at Delhi or some other place (because of some plausible reasons), the Chairman of the Bar Council of India may direct (for the reasons to be recorded in writing) for holding the elections either at Delhi or at some other place. In such cases, the expenses for travelling and accommodation shall be borne by Bar Council of India and the sitting allowances/honorarium shall be borne by State Bar Council.

Provided that if the Ex-Officio Member or the majority of elected Member of State Bar Council further make a request that the election of other office bearers and the Committees of the State Bar Council should also be held either at Delhi or at same place (where the election of Member, Bar Council of India is to be

held), the Chairman of the Bar Council of India shall allow the Members of the State Bar Council to hold the election of its Office Bearers and the Committees, if any, at the same place, after the result of election of Member, Bar Council of India.

Amended Rule-7-

The date of election of the Members of the Bar Council of India shall be notified by the Secretary of the State Bar Council on the direction of the Secretary of the Bar Council of India and the notice thereof shall be sent not less than 15 clear days before the date fixed for election.

However, the majority of elected Members of the State Bar Council may make a request to the Returning Officer to allow the election to be held on a short notice and the Returning Officer may allow the elected Members to hold the election at a short notice. In same manner, the election of office-bearers of State Bar Council can also be held on a short notice.

A copy of notice relating to election shall be sent simultaneously to Bar Council of India.

Amended Rule-8(1)-

The name of each candidate for the election shall be proposed by one Member and seconded by another Member of the State Bar Council in writing filed before Returning Officer at least one day prior to the election meeting. The nomination shall be filed before the Returning Officer. No Member shall propose or second more than one name. Such nomination shall be invalid. The nomination papers shall be scrutinized by the Returning Officer on same day and he shall take appropriate decision in this regard and declare the candidatures.

Amended Rule-8(9)-

The result of the election shall be published forthwith in the Gazette concerned for publication. However, if the election is held in the premises of Bar Council of India at Delhi or some other place, the result shall be published in the Gazette of India.

Proviso to Rule 8(9) :-

Provided that in case of publication of result of Members of State Bar Council and/or its Office Bearers in State Gazette and Gazette of India both, the publication made in Gazette of India shall be treated to be valid and this provision regarding Gazette publication shall be treated to be in force from the date the Advocates' Act, 1961 came into force.

[Note : This proviso to Rule 8(9) shall be deemed to have come into force from the date the Advocates Act, 1961 became effective].

Amended Rule-10(5)-

The vacancy (if any) of the members, Bar Council of India shall be filled up in accordance with the provisions of these Rules only.

Added Rule-11

Election Committee(s) OR Election Tribunal(s)

- (A) The Election Tribunal(s), which are also called the Election Committee already constituted by Bar Council of India as per Bar Council of India Resolution taken vide Item No.25/2018 dated 21.01.2018, which has been approved by Hon'ble Supreme Court of India in Transferred Case (Civil) No.126/2015 shall be operational with respect to election issues and disputes of members of all State Bar Councils.

Such Tribunal(s) shall be functional to decide the matters relating to disqualification of voters or the members of Bar Council and to election and/or election disputes of the election of Members and/or Office-Bearers of State Bar Councils.

- (B) The Tribunal(s) are headed by a former Chief Justice of any High Court and two Former Judges of any High Court. Out of these two Member-Judges, one shall be a Judge nominated by the concerned State Bar Council, the dispute relating to which the Tribunal is to be constituted. In case the Tribunal considers it necessary, it may appoint observer(s) and/or Assistant Returning Officers for ensuring fair and transparent elections of members of State Bar Council(s) or its office-bearers. However, the Returning Officer for such elections of members and office bearers of State Bar Councils shall be appointed by the concerned State Bar Council only.
- (C) The Chairman of the Tribunal shall frame its own regulations and procedure, and shall decide the election-petition fee in consultation with Bar Council of India etc. and Bar Council of India shall provide and make all arrangements for the Tribunals/Committees.

SRIMANTO SEN, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./430/2020]